

सरोदय निवेदन है कि भावेदर मान सिंह पुत्र नारायण सिंह द्वारा 5 अंश
 543 में आदिदर का नाम भोम सिंह पुत्र नारायण सिंह है क सन् 2058-2061 की
 जमावती में भोम सिंह पुत्र नारायण सिंह को जमा कि सन् 2058-2061 की
 में राशन कार्ड / आपार कार्ड / उभयकार्ड / न पूरा की कानूनी प्रक्रिया में
 मान सिंह पुत्र नारायण सिंह द्वारा है क सन् 2058-2061 की जमावती में
 होगा बलाया है उपरोक्त इलाक़ों के ग्रामीणों का नाम मान सिंह पुत्र नारायण सिंह द्वारा 5 अंश
 जाना उचित है। पूर्व नाम दुरमी रिपोर्ट पर महापुत्र / TDR चोप का बरगुन न सिद्ध प्रमाणी
 SDM चोप का बरगुन की धारा 141 के अन्तर्गत है

श्री मान जी सुलबिक रिपोर्ट ILR/पत्तारी चिरस एवं अन्य इलाक़ों के
 क्लेकन पर ग्राम चिरस की जमावती सन् 2070-2073 के
 जमा 543 में भोम सिंह पुत्र नारायण सिंह 1/6 जाति इलाक़ा
 के प्लान पर मान सिंह पुत्र नारायण सिंह 1/6 जाति इलाक़ा
 दुरमी/पुत्र सिद्धे जाने की कानूनी प्रक्रिया की जाती है

तहसीलदार (मोअ) निवाड़

आदेश

15/11/20
 24/11/20
 पंचायत पेशादर। प्रकरण प्रशासनिक कार्य के अन्तर्गत 2073
 से प्राप्त हुआ तहसीलदार निवाड़ की रिपोर्ट एवं सुनिश्चित
 अनुसार ग्राम-चिरस की जमावती सन् 2070-2073 के अन्तर्गत
 स 543 में भोम सिंह पुत्र नारायण सिंह 1/6 जाति-इलाक़ा
 के प्लान पर मान सिंह पुत्र नारायण सिंह 1/6 जाति इलाक़ा
 दुरमी निये जाने की कानूनी प्रक्रिया की जाती है।
 तहसीलदार निवाड़ को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में
 प्रमाण प्रामाणिक पालना से सुकान्त नरायण पंचायत पेशादर
 सुकान्त धीरज व अन्तर्गत प्रमाण की गणना साविक प्रमाण है



24/08/20
 उपनिर्देश अधिकारी
 निवाड़ (दोके)